न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 22/2021 रसद

रामचरण गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर निवासी ग्राम पंचायत रलावता तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2021 के अंतर्गत।

उपस्थित—1. श्री राम लाल गोठवाल, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 29.07.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.10.2017 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत रलावता तहसील बसवा जिला दौसा का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 392/2000 है, एवं अपीलांट बिना किसी शिकायत के इमानदारी से ग्राम पंचायत रलावता तहसील बसवा जिला दौसा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण करता आ रहा है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016 एवं 5.8.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके बाद दिनांक 24.3.2017 को संशोधित आदेश पारित किये गये हैं जिसके तहत उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायो मैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

ओ0टी0पी0 आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेश मात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ताओं को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण रसद सामग्री का राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। अपीलांट ने बीमारी के कारण उप जिला कलक्टर (रसद) बांदीकुई को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उप जिला कलक्टर बांदीकुई ने दो माह का अवकाश स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात अपीलांट को अनजानी बीमारी हो जाने के कारण प्रार्थी का स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहा जिसके कारण प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री का उठाव नहीं किया गया जिसके बाबत जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को दिनांक 26.4.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन अपीलांट का स्वास्थ्य लगातार खराब रहने के कारण अपीलांट कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दे सका जिसके कारण जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आदेश दिनांक 18.5.2017 के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के लंबे समय से रसद सामग्री के उठाव व वितरण नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक 30.10.2017 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 30.10.2017 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को अपने आदेश दिनांक 30.7.2021 द्वारा प्रार्थी को अपील करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जाकर अपीलेट ऑथोरिटी को यह निर्देश प्रदान किये गये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दो माह के भीतर–2 निस्तारित करे। जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 30.10.2017 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध रसद सामग्री की कालाबाजारी एवं गबन का कोई भी आरोष प्रमाणित नहीं है। साथ ही जिला रसद अधिकारी दौसा ने प्रार्थी को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसमें भी किसी प्रकार की अनियमितता किया जाना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट के प्राधिकार पत्र को केवल मात्र लंबे समय तक रसद सामग्री के उठाव व वितरण नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। वर्तमान में अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का अस्थाई आवंटन अन्य उचित मूल्य दुकानदार को किया गया है। अपीलांट को रिक्त उचित मूल्य दुकान पर आज दिनांक तक किसी भी डीलर की नियुक्ति नहीं हुई है साथ ही अपीलांट के ऊपर रसद सामग्री के गबन व कालाबाजारी का कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर...3 पर

आरोप प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 के अंतर्गत किसी तकनीकी अनियमितता के आधार पर डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं करने बाबत सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये है। प्रकरण में भी मात्र तकनीकी अनियमितता के आधार पर अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट द्वारा लम्बे समय से राशन सामग्री उठाव व वितरण कार्य संपादित नहीं करने पर दिनांक 2.3.2017 व दिनांक 26.4.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अपीलांट द्वारा जिला रसद कार्यालय दौसा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 18.5.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया। ततपश्चात भी अपीलांट की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 30.10.2017 को उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। साथ ही विभागीय पैरोकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रसद कार्यालय द्वारा अपीलांट के स्थान पर किसी भी डीलर की नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं की गई है। जिला रसद कार्यालय दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रसद सामग्री के उठाव व वितरण कार्य संपादित नहीं करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट के बीमार हो जाने के कारण उचित मूल्य सामग्री का उठाव व वितरण नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट मै0 रामचरण गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत रलावता तहसील बसवा जिला दौसा द्वारा रसद सामग्री के उठाव व वितरण कार्य संपादित नहीं करने पर दिनांक 30.10.2017 के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। पत्रावली में संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर में एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 4152/2021 उनवानी याचिका रामचरण गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.7.2021 का अवलोकन किया गया। उनवानी प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए अपीलेट ऑथोरिटी को आदेश प्राप्ति की दिनांक से दो माह में अपील का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिला रसद अधिकारी दौसा की मूल पत्रावली के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा रसद सामग्री का उठाव व वितरण नहीं किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है जिनका अपीलांट द्वारा कोई जवाब नहीं दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...4 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 22/2021 रसद

जाने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.10.2017 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र पेश कर अवगत कराया है कि अपीलांट अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं उचित मूल्य की दुकान का संचालन करने में पूर्णतया समर्थ है। पत्रावली में अपीलांट के विरूद्ध राशन सामग्री की कालाबाजारी एवं गबन किये जाने की कोई शिकायत नहीं है। अपीलांट द्वारा बीमार हो जाने के कारण राशन सामग्री का उठाव व वितरण नहीं कर सका था। अब अपीलांट ने स्वस्थ्य होने व उचित मूल्य दुकान संचालन में सक्षम होने बाबत शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के स्थान पर नया उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2017 में से प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने का आदेश यथावत रखा जाकर शेष आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलांट को प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि रू0 1000/– पुनः जमा कराने की शर्त पर व राशन सामग्री के समय पर उठाव व वितरण किये जाने की शर्त पर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:41 IST
Reason: SelfAttested